समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला निर्वाचन प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 (का.)
0621-2212105 (आ.) 2217285 (फै.)
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी--सह--जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2015 को आयोजित बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

---

1. उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

2. समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन–सह–नोडल पदाधिकारी एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अंतिम रूप से प्रकाशित पुनरीक्षित मतदाता सूची की एक--एक प्रति सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय दलों के जिलाध्यक्षों को उपलब्ध करा दी जाए । यह भी निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्यालय से इस आशय का एक पत्र जारी कर दिया जाए कि सभी मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों (BLO'S) पुनरीक्षित मतदाता सूची के साथ एक सप्ताह तक सम्बद्ध मतदान केन्द्रों पर रहेंगे एवं मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करेंगे । पुनरीक्षित मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित मतदाताओं से विहित प्रपत्र में दा–आपत्ति प्राप्त करते हुए आगे की कार्रवाई करते रहेंगे । सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों (BLO'S) से लगातार समन्वय बनाये रखेंगे तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे । मतदाता सूची में किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि नहीं रहे इसकी सूक्ष्म जॉच अनिवार्य होगा ।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम पाया गया कि दावा–आपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप पूर्व से निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तथा कुछ ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त होते हैं । सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होने वाले सभी दावा–आपत्तियों से संबंधित आवेदनों का नोटिस आदि निर्गत कर विधिवत निष्पादन करते हुए स्वीकृत आवेदनों की प्रविष्टि चुनाव आयोग के निदेश के आलोक में निरंतर कराते रहें । साथ ही सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का भी पर्यवेक्षण करते रहें । यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि निर्वाचक सूची में किसी भी मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टि न हो और न ही किसी योग्य मतदाताओं का नाम छूटे । सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने वेबसाइट को प्रतिदिन खोलकर देखें तथा उसे अद्यतन रखें ।

4. यह बात प्रकाश में आई कि पुनरीक्षित मतदाता सूची में एक ही मतदाताओं के दो जगह नाम की प्रविष्टि को चिन्हित करते हुए एक नाम को Delete करा लिया गया है । अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0 को निदेश दिया गया कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि पुनरीक्षित मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलत ऑकड़े अथवा दोहरी प्रविष्टि शेष नहीं है । सभी मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों (BLO'S) से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि मतदाता सूची में अंकित सभी जानकारियाँ सही हैं । साथ ही सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया

गया कि किसी मतदाताओं के नाम को Delete करने में काफी सावधानी बरती जाए । किसी भी परिस्थिति में किसी योग्य मतदाताओं का नाम Delete न हो ।

5. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों (BLO'S) के साथ निर्वाचन की तैयारी एवं प्रगति के संबंध में एक बैठक आहूत कर ली जाए तथा उक्त बैठक की कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाए। समीक्षा के दौरान यह भी देख लें कि मतदान केन्द्रवार/विधानसभावार दावा–आपत्तियों से संबंधित अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं, कितने का निष्पादन कर दिया गया है तथा कितना आवेदन आज की तारीख में लंबित है । प्रखण्डवार/विधानसभावार इस आशय का साप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाए ।

6. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त मतदाता सूची से संबंधित डुप्लीकेशी सॉफ्टवेयर के आधार पर तैयार किया गया सी0डी0 से गंभीरतापूर्वक सत्यापन एवं मिलान करा ली जाए ।

7. मतदाता सूची के सत्त् अद्यतीकरण से संबंधित एजेंसियों के क्रियाक्लाप एवं अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई । सभी सम्बद्ध एजेंसियों को निदेश दिया गया कि सौंपे गये सभी कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे । अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि एजेंसियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का वे लगातार पर्यवेक्षण करते रहेंगे ।

8. समीक्षा के क्रम में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मतदान केन्द्रों के स्थल परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.08.2015 तक निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभाग को भेजा जा सके ।

9. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन प्रखण्डों से प्राप्त हो चुका है । संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि अभी भी किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रखण्डस्तर पर लंबित है तो सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अविलंब निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोई भी मतदान केन्द्र प्रथम तल पर अवस्थित नहीं होनी चाहिए । अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुज0 को निदेश दिया गया कि भौतिक सत्यापन से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु अविलंब पत्राचार किया जाए ।

10. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बोचहां प्रखण्ड अन्तर्गत एक ही विद्यालय भवन में पाँच मतदान केन्द्र अवस्थित है । संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण करते हुए तत्संबंधी प्रस्ताव जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस तथ्य की जाँच कराते हुस संतुष्ट हो लिया जाए । यदि ऐसा पाया जाता है उसकी सूचना अविलंब उपलब्ध करायी जाए ।

11. समीक्षा के क्रम में निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिले के जिस मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं के संबंध में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार जाँच

प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है उसे अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यह भी निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर यह देख लें कि भवन सही हालत में है या नहीं, शौंचालय कार्यरत है या नहीं, रैम्प की सुविधा है या नहीं, शुद्ध पेयजल की सुविधा है या नहीं । अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0 एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भौतिक सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु अविलंब उपलब्ध करा दी जाए ।

12. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है । सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

13. समीक्षा के क्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित भवहीन मतदान केन्द्रों की सूची एवं वैकल्पिक मतदान केन्द्र का प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

14. समीक्षा के क्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मतदान केन्द्रवार यह जाँच कर लें कि किस कम्पनी का नेटवर्क उस क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यशील है एवं तत्संबंधी प्रस्ताव तैयार कर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

15. सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विधान सभा क्षेत्रवार मॉडल मतदान केन्द्रों को चिन्हित करते हुए उसकी सूची अविलंब उपलब्ध करा दी जाए । मॉडल मतदान केन्द्र को चिन्हित करते समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मानकों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाए ।

16. सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विधान सभा क्षेत्रवार चलंत मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

17. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में उपलब्ध सभी ई0वी0एम0 का एफ0एल0सी0 कराते हुए उसका प्रमाण पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है । जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र से आये ई0वी0एम0 का अभी तक रिसीविंग भी नहीं हुआ है एवं उसमें EVM Tracking Software भी नहीं डाला गया है । निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–सह–नोडल पदाधिकारी, ई0वी0एम0 कोषांग के द्वारा बताया गया कि कुल 3800 सौ सी0यू0 एवं 7250 बी0यू0 महाराष्ट्र से इस जिले को प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रथम स्तरीय जाँच के दौरान संख्या में अंतर पाया गया । निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–सह–नोडल पदाधिकारी, ई0वी0एम0 कोषांग एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी ई0वी0एम0 की तकनीकी रूप से जॉच कर लें । जाँच के क्रम में पाये गये तथ्यों को समेकित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को भेजा जाना है ।

18. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आगामी विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर उपयोग में लाये जाने वाले सामग्रियों का निविदा करते हुए उसकी तकनीकी निविदा खोल लिया गया है, परन्तु अभी तक वित्तीय निविदा नहीं खोला गया है । सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी

को निदेश दिया गया कि दिनांक 07.08.2015 को क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलकर आगामी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए ।

19. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर प्रतिनियुक्ति हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों का अद्यतन डाटावेस अभी तक तैयार नहीं किया गया है । कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अन्दर जिले के सभी विभागों/कार्यालयों से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अद्यतन सूची विहित प्रपत्र में प्राप्त कर डाटावेस तैयार करना सुनिश्चित करें ।

20. समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वी.वी.पी.ए.टी. (VVPAT) जिले के किन मतदान केन्द्रों पर अधिष्ठापित किया जाएगा, उससे संबंधित आदेश प्रारूप तैयार कर उपस्थपित करना सुनिश्चित करें ।

21. समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुज0 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित बज्रगृह का स्थल निरीक्षण करते हुए आवश्यक मरम्मती का कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया एवं तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

22. समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0 को निदेश दिया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन करते हुए तत्संबंधी आदेश प्रारूप उपस्थापित करना सुनिश्चित करें ।

23. समीक्षा के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी–सह–नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्य में सम्बद्ध होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 20.08.2015 तक सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक सामान्य प्रशिक्षण करा दिया जाए ।

24. समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0 को निदेश दिया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से मतदान केन्द्रों का सत्यापन कराते हुए सभी मतदान केन्द्रों का कम्यूनिकेशन प्लान तीन दिनों के अन्दर तैयार करा लें ।

25. समीक्षा के क्रम में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिले की वेबसाइट पर District Election Portal तैयार कर इसे समय समय पर अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

26. अवर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.07.2015 तक कुल 142 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका निष्पादन ससमय किया जा चुका है । निदेश दिया गया कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसे विधिवत एक पंजी में दर्ज करते हुए निष्पादन हेतु संबंधित कोषांगों को अविलंब भेजना सुनिश्चित करें ।

27. अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0 एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 से संबंधित प्रेस नोट जारी होने के साथ ही Singal Window System के माध्यम से राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के रैली, सभा, जुलूस इत्यादि से संबंधित आवेदनों के जिलास्तर पर निष्पादन हेतु कोषांग का गठन करना सुनिश्चित किया जाए ।

28. समीक्षा के क्रम में मेसर्स आर0के0 टेक, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 10.08.2015 तक सभी मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र तैयार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि तैयार मतदाता पहचान पत्र को दिनांक 20.08.2015 तक वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।

ज्ञापांक 1032 / निर्वा., दिनांक 07/08/15

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त / अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन / अपर समाहर्ता / सभी कोषांग के वरीय / नोडल पदाधिकारी / सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों / सभी निर्वाची पदाधिकारी / सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों / अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, पश्चिमी / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुज0 / सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों / सहायक निर्वाची पदाधिकारियों / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों / सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मेसर्स आर0के0 टेक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/8/15
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।